रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 30] नई दिल्ली, जुलाई 26—अगस्त 1, 2015, शनिवार/श्रावण 4—श्रावण 10, 1937

No. 30] NEW DELHI, JULY 26—AUGUST 1, 2015, SATURDAY/SRAVANA 4—SRAVANA 10, 1937

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

शहरी विकास मंत्रालय

(संपदा निदेशालय)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2015

सा.का.नि. 136.—शहरी विकास मंत्रालय (संपदा निदेशालय) के ज्ञापन क्रमांक 12035/4/2014-नीति-II दिनांक 10-6-2015 के सन्दर्भ में भारत सरकार की अधिसूचना के हिंदी संस्करण में जोकि भारत के राजपत्र के, साप्ताहिक, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 112 दिनांक 13-6-2015 द्वारा प्रकाशित :-

2(iv) अनुपूरक नियम 317-ख-21 में,-

इसकी जगह पर :-

"(ख) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(3अ) जहां परिसरों की अप्राधिकृत उप किरायेदारी के कारण आबंटन को रद्द करने की कार्वाई की जाती है, वहां संपदा निदेशक द्वारा आबंटिती के संबंधित प्रशासनिक कार्यालय को उन प्रयोजनों के लिए विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने और भारी शास्ति अधिरोपित करने

के लिए प्रारूप आरोप पत्र की प्रति सहित निदेश जारी किया जाएगा; तथा प्रशासनिक मंत्रालय संपदा निदेशक को आबंटिती के विरुद्ध विरचित आरोपों के ब्यौरे और अधिरोपित शास्ति सूचित करेगा।"

ये पढ़ा जाए :-

"(ख) उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3अ) जहां परिसरों की अप्राधिकृत उप किरायेदारी के कारण आबंटन को रद्द करने की कार्रवाई की जाती है, वहां संपदा निदेशक द्वारा आंबटिती के संबंधित प्रशासनिक कार्यालय को उन प्रयोजनों के लिए विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने और भारी शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रारूप आरोप पत्र की प्रति सहित निदेश जारी किया जाएगा; तथा प्रशासनिक मंत्रालय संपदा निदेशक को आंबटिती के विरुद्ध विरचित आरोपों के ब्यौरे और अधिरोपित शास्ति सूचित करेगा।"

[फा. सं. 12035/4/2014-नीति. II]

स्वर्णाली बनर्जी, संपदा उप निदेशक (नीति)

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र में का.आ. 1330, तारीख 11 मई, 1963 को प्रकाशित किए गए थे तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए :

1. का.आ. 1607, तारीख 24 अप्रैल, 1982
2. का.आ. 4202, तारीख 18 दिसम्बर, 1982
3. सा.का.नि. 159, तारीख 19 फरवरी, 1983
4. का.आ. 2085, तारीख 11 मई, 1985
5. का.आ. 666, तारीख 22 फरवरी, 1986
6. सा.का.नि. 530, तारीख 11 जुलाई, 1987
7. सा.का.नि. 796, तारीख 24 अक्तूबर, 1987
8. सा.का.नि. 265, तारीख 30 मई, 1992
9. सा.का.नि. 150, तारीख 26 मार्च, 1994
10. सा.का.नि. 447, तारीख 3 सितम्बर, 1994
11. सा.का.नि. 454, तारीख 14 अक्तूबर, 1995
12. सा.का.नि. 542, तारीख 30 नवम्बर, 1996
13. सा.का.नि. 58(अ), तारीख 28 जनवरी, 1998
14. सा.का.नि. 287, तारीख 1 जून, 1998
15. सा.का.नि. 225, तारीख 12 नवम्बर, 1998
16. सा.का.नि. 239, तारीख 21 जुलाई, 1999
17. सा.का.नि. 27, तारीख 13 जनवरी, 2001
18. सा.का.नि. 346, तारीख 23 जून, 2001
19. सा.का.नि. 528(अ), तारीख 13 जुलाई, 2001
20. सा.का.नि. 52, तारीख 1 फरवरी, 2003
21. सा.का.नि. 182, तारीख 26 अप्रैल, 2003
22. सा.का.नि. 20, तारीख 3 फरवरी, 2009
23. सा.का.नि. 128, तारीख 21 अगस्त, 2009
24. सा.का.नि. 41, तारीख 5-11 फरवरी, 2012
25. सा.का.नि. 263, तारीख 23 अप्रैल, 2009
26. सा.का.नि. 444(अ), तारीख 28 जून, 2013
27. सा.का.नि. 685(अ), तारीख 14 अक्तूबर, 2013
28. सा.का.नि. 768(अ), तारीख 28-11-2013
29. सा.का.नि. 49, तारीख फरवरी, 23 – मार्च 1, 2014
30. सा.का.नि. 737(अ), तारीख 21-10-2014
31. सा.का.नि. 112, तारीख जून 7, – जून 13, 2015

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2015

सा.का.नि. 137.—राष्ट्रपति, साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 198, तारीख 20 अक्तूबर, 2010 को प्रकाशित, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो (प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती नियम, 2010 की अधिसूचना को, उन बातों के सिवाय, जिन्हे ऐसे विखंडन से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, विखंडित करते हैं।

[फा. सं. ए-12025/1/2004-ईएसए(एलबी) पीटी]

निशा गौड़, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 22nd July, 2015

G.S.R. 137.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (X of 1897), the President hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, Labour Bureau (Administrative Officer) Recruitment Rules, 2010, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 198, dated the 20th October, 2010, except as respect things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. A-12025/1/2004-ESA (LB) Pt.]

NISHA GAUR, Under Secy.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2015

सा.का.नि. 138.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय (क्षेत्रिय पूर्ति निपटान और निरीक्षण कार्यालयों) कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कानपुर, नई दिल्ली, जमशेदपुर और बर्नपुर (ग्रुप 'डी' पद) भर्ती नियम 1980, के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए अधिक्रमण किया गया है या लोप किया गया है केवल निम्नलिखित नियम बनाते हैं जिनमें पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय कार्यालय, प्रादेशिक कार्यालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग में बहुकार्य कर्मचारीवृंद के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय कार्यालय, प्रादेशिक पूर्ति और निरीक्षण कार्यालय, बहुकार्य कर्मचारीवृंद समूह 'ग' भर्ती पद नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान	चयन या अचयन पद है	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बहुकार्य कर्मचारीवृंद	262* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 1, वेतनमान 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण** 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी, उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है । रोजगार कार्यालयों के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) उत्तीर्ण हो ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : चाहे सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पणी** : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी । स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हता रखते हों ।	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :– (क) उपमहानिदेशक/निदेशक —अध्यक्ष (ख) उपनिदेशक (प्रशासन) पू.नि.म.नि. —सदस्य (ग) प्रशासनिक अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए-12018/4/2012-प्रशा. समन्वय]

परिमल करण, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

New Delhi, the 28th July, 2015

G.S.R. 138.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate General of Supplies and Disposals (Regional Supplies, Disposals and Inspection Offices) at Calcutta, Bombay, Madras, Kanpur, New Delhi, Jamshedpur and Burnpur (Group D posts) Recruitment Rules, 1980, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following

3143 GI/15-2

rules regulating the method of recruitment to the post of Multi-Tasking Staff in the office of the Directorate General of Supplies and Disposals and Regional Offices, in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Commerce and Industry, Directorate General of Supplies and Disposals, Regional Offices Supplies and Inspection Offices, Multi-Tasking Staff, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.— The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time-to-time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Multi Tasking Staff	262* (2015) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, Rs. 5200—20200 plus Grade Pay of Rs. 1800	Not applicable	Between 18 and 25 years of age. (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing

(6)
date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). In case of recruitment made through the Employment Exchange the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Matriculation or equivalent pass from a recognised Board; or Industrial Training Institute (ITI) pass.	Not applicable	Two years

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(10)	(11)
By direct recruitment. **Note :** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from offices of Central Government possessing the qualification prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :— (1) Deputy Director General/Director —Chairman (2) Deputy Director (Administration), DGS&D —Member (3) Administrative Officer —Member	Not applicable.

[F. No. A-12018/4/2012/Admn. Coordn.]
PARIMAL KARAN, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2015

सा.का.नि. 139.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग संयुक्त आयुक्त (मशीनरी प्रभाग) भर्ती नियम, 1968, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग में अपर आयुक्त (मशीनरी) पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियत बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, अपर आयुक्त (मशीनरी) पद, भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगें, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अपर आयुक्त (मशीनरी)	*1 (2015) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-4, 37400-67000 रु. + ग्रेड वेतन 8700 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके ने हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा	**प्रोन्नति :** निदेशक, फार्म मशानरी और प्रशिक्षण संस्थान निदेशालय (एफएमटीटीआईएस) से वेतन बैंड-3, 15600—39100 रु. + ग्रेड वेतन 7600 रु. सहित उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो । **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

3143 GI/15-3

(11)

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

प्रतिनियुक्ति (अंतर्गत अल्पकालिक संविदा सहित) :

केंद्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या स्वैछिक संगठनों या मान्यताप्राप्त कृषि विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संगठनों के ऐसे अधिकारी –

(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन बैंड-3, 15600—39100 रु. ग्रेड वेतन 7600 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस पद पर पांच वर्ष नियमित सेवा की हो;

(iii) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :–

आवश्यक :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि इंजीनियरिंग या मैकैनिकल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर;

(ii) कृषि उपकरणों या मशीन ट्रैक्टर सहित, का संचालन या मरम्मत या रखरखाव या डिजाईन विकास या उत्पादन या प्रशिक्षण और परीक्षण के क्षेत्र में 12 वर्ष का अनुभव;

वांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मैकैनिकल या कृषि इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट डिग्री

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

[प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(11)
टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थान ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अध्यक्ष या सदस्य संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी), कृषि एवं सहकारिता विभाग —सदस्य 3. संयुक्त सचिव (प्रशासन), कृषि एवं सहकारिता विभाग —सदस्य	प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी की नियुक्ति करते समय (अल्पकालिक संविदा सहित) संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. -12018/05/1998-स्था.-II]

सुनील कुमार स्वर्णकार, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

New Delhi, the 27th July, 2015

G.S.R. 139.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Agriculture, Joint Commissioner (Machinery Division) Recruitment Rules, 1968, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Additional Commissioner (Machinery), in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation) namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Department of Agriculture and Cooperation, Additional Commissioner (Machinery) Recruitmen Rules, 2015

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3143 GI/15-4

2. Number of post, classification and Pay Band and Grade Pay or Pay scale.— The number of said post, their classification and the Pay Band and Grade Pay or Pay Scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, and qualifications.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Additional Commissioner (Machinery)	1* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-4, Rs. 37,400–67,000 plus Grade Pay of Rs. 8700	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made
(10)	(11)
By promotion failing which by deputation including short-term contract.	**Promotion :** Directors of Farm Machinery Testing and Training Institutes (FMTTIS) in the Pay Band-3, Rs. 15600–39100 with Grade Pay of Rs. 7600 with five years' service in the grade. **Note 1** : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2** : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. **Deputation (including Short-term Contract) :** Officers under the Central or State Government or Union Territory Administration or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Autonomous Statutory or Organisations or Agricultural University or recognized research institute : (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent Cadre or Department, or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay band-3, in the pay scale of Rs. 15600-39100 plus Grade pay Rs. 7600 or equivalent in the parent cadre or department; and (iii) possessing the following educational qualifications and experience :- **Essential :** (i) Post Graduate Degree in Agricultural Engineering or Mechanical Engineering from a recognized University or Institute; (ii) Twelve years' experience in the field of operation or repair or maintenance or design development or production or training and testing of agricultural equipments and machines, including tractors.

(11)
Desirable : Doctorate degree in Mechanical or Agricultural Engineering from a recognized University or Institute. **Note 1:** The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. [Period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. Maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.] **Note 2 :** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where the benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of :— 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission —Chairman 2. Joint Secretary (Mechanization and Technology), Department of Agriculture and Cooperation —Member 3. Joint Secretary (Administration) – Department of Agriculture and Cooperation —Member	Consultation with UPSC necessary while appointing an officer on Deputation (ISTC).

[F. No. 12018/05/1998-Estt.-II]

SUNIL KUMAR SWARNKAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.